न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 5377 / 2002 / करौली

1– श्यामलाल पुत्र श्री प्रीतम जाति जाट निवासी ग्राम वनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली। (मृतक) जरिये कायम मुकाम

1/1– ब्रजेन्द्रसिंह पुत्र श्यामलाल

1/2– करणसिंह पुत्र श्यामलाल

1/3– भागमल पुत्र श्यामलाल

समस्त जाति जाट सभी निवासी ग्राम वनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली

.....**अपीलार्थी**

बनाम

1– अतरसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकाम

1/1– घनश्याम पुत्र अतरसिंह

1/2– लक्ष्मणसिंह पुत्र अतरसिंह

1/3– सोनसिंह पुत्र अतरसिंह

1/4– विमला पुत्र अतरसिंह

1/5– विभिषणा पुत्र अतरसिंह

1/6– विनेश पुत्र अतरसिंह

1/7– सपना पुत्र अतरसिंह

1/8– गुड्डी पुत्र अतरसिंह

2– गोविन्दसिंह पुत्रान श्री सरदारसिंह

3– कुंवर सिंह

3/1– मु0 मोहनदेई पत्नी कुंवरसिंह

3/2– प्रिती पुत्री कुंवरसिंह

3/3– कौशल पुत्र कुंवरसिंह

3/4– अनिता पुत्री कुंवरसिंह

3/5– भोलू पुत्र कुंवरसिंह

नबालिगान जरिये माता मु0 मोहनदेई। सभी निवासी ग्राम वनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली

4– चेतराम पुत्रान श्री बालू

5– बलवीरसिंह

6– हाकिमसिंह

7– रामचरण पुत्रान प्रीतम

8– रामेश्वर
सभी निवासीयान ग्राम वनकी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

..... प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
कमला अलारिया, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता अपीलार्थी।
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 13.04.2026

1– हस्तगत् अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। विवादित भूमि खसरा संख्या 239, रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के मूल खातेदार स्व. प्रीतम थे, जिन्होंने दिनांक 26–07–1978 को अपनी भूमि का 60/109 भाग (लगभग 3 बीघा, पश्चिमी हिस्सा) बृजमोहन आदि को विक्रय कर दिया तथा शेष 49/109 भाग (2 बीघा 9 बिस्वा, पूर्वी हिस्सा) अपने पास रखा, जो उनके निधन के बाद वादी एवं अन्य उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुआ। भू–प्रबन्ध के दौरान प्रत्यर्थीगण द्वारा नये खसरा नम्बर बनाकर भूमि में हस्तक्षेप किया गया तथा वादी के हिस्से को कम करने का प्रयास किया गया। इस कारण वादी ने अपने 2 बीघा 9 बिस्वा पूर्वी हिस्से पर पृथक खातेदारी घोषित करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया। उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13–11–2001 से वाद खारिज कर दिया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2002 से अपील भी निरस्त कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मंडल में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। दोनों ही न्यायालयों ने एक तरफ तो तथ्यों का समुचित विश्लेषण नहीं किया, साथ ही विधि के अनिवार्य प्रावधानों की भी अवहेलना की है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 31 सी. पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है। उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलीय न्यायालय को प्रत्येक बिन्दु का स्पष्ट निर्धारण कर, उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए कारणयुक्त निर्णय देना अपेक्षित था, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने बिना तनकीवार विवेचन के सरसरी तौर पर अपील निरस्त कर दी, जो विधि विरुद्ध एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 में यह निष्कर्ष दिया है कि ''विवादित भूमि के 49/109 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 7 व 8 तीनों के नाम खातेदारी विधिवत् विरासत के आधार पर दर्ज है। वादी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रतिवादीगण का नाम हटाकर अकेले वादी को खातेदारी का अधिकार प्राप्त हो गया हो अथवा प्रतिवादीगण ने अपने अधिकार त्याग दिये हों। साथ ही, मौके की रिपोर्ट एवं राजस्व अभिलेखों से भी यह प्रमाणित नहीं होता कि वादी का एकल कब्जा है या विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का संबंध समाप्त हो चुका है। इसके विपरीत, रिकॉर्ड से यह परिलक्षित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त अधिकार बना हुआ है।''के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि खसरा संख्या 239 की पूर्व दिशा की 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि के वादी तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह कर्तव्य था कि उक्त भूमि के विधिसम्मत विभाजन की सुनिश्चितता करते, किन्तु ऐसा न कर सम्पूर्ण तनकी वादी के विरुद्ध निर्णीत करना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 में यह निष्कर्ष दिया है कि ''प्रतिवादीगण अपने इस तर्क को कि वादी का 9 बिस्वा भूमि पर कब्जा नहीं था, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध करने में असफल रहे। मात्र यह कहना कि "पड़ोसियों ने कब्जा कर रखा है" पर्याप्त नहीं है, जब तक कि कब्जाधारी, सीमा एवं अवधि स्पष्ट रूप से प्रमाणित न हो। आईएलआर रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 615 वादी की खातेदारी में होना वादी के दावे को समर्थन प्रदान करता है'' के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। मूल खातेदार स्व. प्रीतम ने अपनी खातेदारी भूमि में से पश्चिमी भाग की 3 बीघा भूमि दिनांक 26-07-1978 को बृजमोहन आदि को विक्रय की, जो बाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के

पास आई। फलतः खसरा संख्या 239 की पूर्वी 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का अधिकार तथा पश्चिमी 3 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का अधिकार निर्विवाद रूप से स्थापित है। ऐसी स्थिति में न्यायालयों का यह दायित्व था कि वास्तविक विवाद के समाधान हेतु राजस्व अभिलेखों एवं भू–प्रबन्ध की स्थिति का सत्यापन कराते हुये, राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर नाप एवं सीमांकन कराया जाता, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस पक्ष के कब्जे में कितनी एवं किस दिशा की भूमि है तथा कहां अतिक्रमण हुआ या नही। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 व 4 का निर्णय वादी के विरूद्ध करने में विधिक त्रुटि की है जबकि वादी अपने खाते की 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर साधिकार काबिज है परन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने अवैधानिक तौर पर बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं होना मानकर जो निर्णय पारित किये है, वह अविधिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पक्ष की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

5– वादी/अपीलार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। विवादित भूमि खसरा संख्या 239, रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के मूल खातेदार स्व. प्रीतम थे, जिन्होंने दिनांक 26–07–1978 को अपनी भूमि का लगभग 3 बीघा (पश्चिमी हिस्सा) बृजमोहन आदि को विक्रय कर दिया तथा शेष 2 बीघा 9 बिस्वा (पूर्वी हिस्सा) अपने पास रखा, जो बाद में वादी एवं अन्य उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुआ। भू–प्रबन्ध के दौरान प्रत्यर्थीगण द्वारा हस्तक्षेप कर वादी के हिस्से को प्रभावित करने के कारण वादी ने अपने पूर्वी 2 बीघा 9 बिस्वा हिस्से पर पृथक खातेदारी घोषित करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया। उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन ने दिनांक 13–11–2001 को वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध दायर अपील को भी राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने दिनांक 31–07–2002 को निरस्त कर दिया।

6– अभिलेख के परीक्षण से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के विवादित बिन्दुओं का पृथक–पृथक निर्धारण नहीं किया गया तथा न ही प्रत्येक बिन्दु पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए कारणयुक्त निष्कर्ष अभिलिखित किये गये हैं जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता में यह स्पष्ट प्रावधान अंकित किया गया है किः–

''**निर्णय की अन्तर्वस्तु, तारीख और हस्ताक्षर**–अपील न्यायालय का निर्णय लिखित होगा।

(क) अवधार्य प्रश्नः

(ख) उन पर विनिश्चयय

(ग) विनिश्चय के लिए कारण तथा

(घ) जहाँ वह डिक्री जिसकी अपील की गई है उलट दी जाती है या उसमें फेरफार किया जाता है वहाँ वह अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है, कथित होगा, और वह न्यायाधीश द्वारा या उसमें सहमत न्यायाधीशों द्वारा उस समय जब वह सुनाया जाए, हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।''

इस प्रकार आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अतएव, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं है एवं न्यायहित में प्रकरण का पुनः विचार आवश्यक है। फलस्वरूप, अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय (राजस्व अपील प्राधिकारी) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–07–2022 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए, विवादित बिन्दुओं का स्पष्ट निर्धारण कर, उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित विश्लेषण कर, तनकीवार विधिसम्मत कारणयुक्त एवं स्पष्ट निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(कमला अलारिया)
सदस्य